रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09022023-243531
CG-DL-W-09022023-243531

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, जनवरी 29—फरवरी 4, 2023, शनिवार/ माघ 9—माघ 15, 1944
No. 4] NEW DELHI, JANUARY 29—FEBRUARY 4, 2023, SATURDAY/ MAGHA 9—MAGHA 15, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 9.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतदद्वारा भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में, उप महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1)** इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, उप महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) समूह "क" पद, भर्ती नियम, 2 022 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उससे जुड़े पे मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उल्लिखित अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं

4. निरर्हताएं वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट है कि, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन/ अचयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उप महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	1(2022) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, समूह 'क' राजपत्रित।	14 टिप्पणी: (रु. 144200-218200/-)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	आयु: लागू नहीं शैक्षिक अर्हताएं; लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के मामले में, ग्रेड जिनमें से पदोन्नति या पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी, - (क) (i) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में पे मैट्रिक्स में लेवल 13ए (रूपये 131100-216600) या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पद पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में पे मैट्रिक्स में लेवल 13 (रूपये 123100-215900) या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयया संस्थान से कम्प्युटर एप्लिकेशन या कम्प्युटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभियांत्रिकी स्नातक या कम्प्युटर अभियांत्रिकी या कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्युटर प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी में प्रौद्योगिकी स्नातक (ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत निकाय या सांविधिक संगठन या विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में योग्यता के बाद इलेक्ट्रोनिक आंकड़ों के प्रसंस्करण या वास्तविक कम्प्युटर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेर डेव्लपमेंट या डाटा आधारित

		प्रबंधन प्रणाली या वेब डिजाइनिंग या नेटवर्किंग या कम्प्युटरकृत सूचना भंडारण एवं पुन प्राप्ति प्रणाली या:ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग या परियोजना प्रबंधन कौशल तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता या डाटा सुरक्षा का पंद्रह वर्ष का अनुभव होना चाहिए । **नोट:** केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि(आईएसटीसी) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि(आईएसटीसी) सामान्यतपाँच : वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है	**भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	**(13)**
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए-51011/1/2020-प्र.V]

एस. एन. शर्मा, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of The Registrar General, India)

New Delhi, the 15th December, 2022

G.S.R. 9.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director General (Information Technology), in the Office of the Registrar General, India, namely:-

1. **Short title and commencement. - (1)** These rules may be called the Office of the Registrar General, India, Deputy Director General (Information Technology) Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** - The number of the said post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in the Pay matrix	Whether selection post/ Non-Selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Director General (Information Technology)	1 (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted Group, A	14 Remark: (Rs. 144200-218200/-)	Not applicable

Age limits for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Age: Not applicable Educational Qualification: Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable	Deputation including short term contract	Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organizations, Public Sector Undertakings, Universities or Recognized Research Institutions: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-13A (Rs.131100-216600) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-13 (Rs.123100-215900) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and

		experience, namely: - (i) Master's Degree in Computer Applications or Computer Science or Information Technology or Software Engineering from a recognized University or Institute; or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Software Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognized University or Institute. (ii) Fifteen years post qualification experience of electronic data processing or experience of actual computer programming or software development or data base management system or web designing or networking or organizing computerized information storage and retrieval system or e-governance applications or Project Management skills and information and communication technology expertise or data security in a Government office or public sector undertaking or an autonomous or statutory organisation or universities or in any recognized institution **Note:** The Period of deputation (ISTC) including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 58 years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with UPSC is necessary.

[F. No. A-51011/1/2020- Ad-V]

S. N. SHARMA, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 10.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (वॉर्डन), भर्ती नियम 1996 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में वॉर्डन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, वॉर्डन (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।